मखाना, मछली और रेशम पर उश्र

1- पानी में उगाने वाली चीज़ें जैसे मखाना, सिंघाडा वग़ैरह ज़मीनी पैदावार में से हैं, और इसमें ज़मीन की भूमिका होती है, इस लिए उनपर उश्र वाजिब है।

2- तालाबों में व्यापार के लिए मछलियों का पालन किया जाता है। यह ज़मीनी पैदावार में से नहीं हैं। इस लिए इनपर उश्र लागू नहीं होगा, बल्कि व्यापारिक माल पर लागू होने वाली ज़कात इसमें से निकाली जाएगी।

3- अगर उश्र वाली ज़मीन में शहतूत की खेती रेशम के कीड़े पालने के लिए की जाती है और शहतूत के पत्तों को रेशम के कीड़ों के पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह प्रस्तावित किया जाता है कि जिस ज़मीन को शहतूत के पत्तों के माध्यम से आमदनी का साधन बनाया जाता है उसपर उगने वाले शहतूत के पत्तों पर उश्र वाजिब होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि पत्तों पर उश्र वाजिब नहीं, बल्कि उससे हासिल होने वाले रेशम पर ज़कात लागू होगी।

☆☆☆